संचालनालय स्वास्थ्य सेवायें
सतपुड़ा भवन भोपाल

क्र./औ.प्र./2015/3759 भोपाल/दिनांक-05/02/15

प्रति,

समस्त मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी,
समस्त सिविल सर्जन, सह मुख्य अस्पताल अधीक्षक,
मध्यप्रदेश।

विषयः— वर्तमान औषधि क्रय नीति में आंशिक संशोधन बाबत्।

विषयांतर्गत लेख है कि वर्तमान में औषधि क्रय नीति के अंतर्गत औषधियों की गुणवत्ता एवं प्रदाय फर्म के भुगतान के संबंध में लागू नियमों में आंशिक संशोधन किये जा रहे है। इन संशोधन के अनुरूप औषधि क्रय की जावे एवं इन निर्देशो के अनुरूप क्रय औषधि की गुणवत्ता एवं प्रदाय फर्मो के भुगतान/कटौत्रा आदि किया जाना सुनिश्चित किया जावें:—

1. प्रदायकर्ता फर्म आदेश प्राप्त होने के उपरांत निविदा की शर्त अनुसार औषधियां/सामग्री निर्धारित समय—सीमा में प्रदाय करें। प्रदायकर्ता फर्म द्वारा औषधि/सामग्री के साथ NABL की रिर्पोट प्रेषित की जावें, यदि NABL की रिर्पोट नही है तब औषधि/सामग्री को जिला स्तर पर प्राप्त कर ली जावे किन्तु उसका उपयोग जब तक नही किया जावे जब तक की NABL की रिर्पोट प्राप्त नही होती है। NABL रिर्पोट उपरांत ही प्राप्ति एवं भुगतान की प्रकिया पूर्ण की जावें।
2. संबंधित फर्म के देयकों का भुगतान एवं उससे संबंधित समस्त कार्यवाही पूर्ण होने के उपरांत 15 दिवस में भुगतान किया जाना चाहिए। भुगतान प्रकिया को भी एस.डी.एम. आई.एस से लिंक किया जाना प्रस्तावित है ताकि अनावश्यक रूप से प्रदायकर्ता फर्म द्वारा भुगतान बाबत् शिकायत न कर सके। विलंब की स्थिति में संबंधित अधिकारी की जिम्मेदारी निर्धारित की जावेगी।
3. जो सामग्री क्रय की जा रही है उसके सैम्पल टेस्ट हेतु तभी भेजे जायें जब क्रय सामग्री सैम्पल साईज से 20 गुना अधिक क्रय की गई हो तथा कम क्रय की स्थिति में प्रदायकर्ता द्वारा प्रस्तुत NABL की रिर्पोट को मान्य किया जाना चाहिए।
   ऐसी स्थिति जिसमें प्रदायकर्ता/उत्पादक फर्म की स्वयं की लैब USFDA Certified हो तो प्रदायकर्ता/उत्पादक फर्म द्वारा प्रदाय की गई Inhouse टेस्ट रिर्पोट को NABL रिर्पोट के स्थान पर मान्य किया जाना प्रस्तावित है।
4. NABL रिर्पोट को केवल उसी औषधि सामग्री के लिए मान्य हो जिनको ड्रग लाईसेन्स के अंतर्गत मान्य किया गया है।
5. NABL रिर्पोट SDMIS में अपलोड करने का प्रावधान फर्म के लिए अनिवार्य किया गया है ताकि सभी फर्म प्रदाय औषधि की NABL रिर्पोट SDMIS में अपलोड करें। यह संशोधन निविदा में भी किया जाना प्रस्तावित है।

6. जिला स्तर पर औषधियों को परीक्षण के लिये भेजे जाने के लिए DHO को नामांकित किया गया है। जिला स्तर से DHO साप्ताहिक रूप से निम्न प्रपत्र में टेस्टिंग की जानकारी प्रेषित करें जिसका राज्य स्तर पर मूल्यांकन साप्ताहिक रूप से किया जावेगा।

क्र.	सप्ताह में प्राप्त औषधि	सप्ताह में प्रेषित सैम्पल	पूर्व सप्ताह में प्राप्त औषधि जिनके सैम्पल प्रेषित किये गये है	सप्ताह में NABL से प्राप्त रिर्पोट	भुगतान की स्थिति

7. स्थानीय स्तर कय की गई औषधि की भी NABL रिर्पोट अनिवार्यतः प्राप्त की जाये जब तक रिर्पोट प्राप्त नहीं होती है तब तक उसका वितरण प्रतिबंधित रहना चाहिए।

8. निर्धारित सूची अनुसार औषधि मे से लगभग 100 औषधि ऐसी है जिनका उपयोग वर्ष में अधिकतम प्रति संस्था 100 से अधिक नही होता ऐसी औषधि की सूची तैयार कर जिला स्तर से कय आदेश जारी किया जावे एवं यह ध्यान रखा जाये कि इस प्रकार के कय आदेश की पुर्नरावृत्ति तीन माह से कम में न हो इस प्रकिया में औषधि के एक्सपायर होने की संभावना कम होगी या न्यूनतम होगी।

9. कय की जा रही सामग्री जिला स्तर से आदेश देने के उपरांत निर्धारित दिवस तक प्राप्त नही होती है तो संबंधित प्रदायकर्ता के विरूद्व नियमानुसार राशि कटौती की प्रकिया को दृढ़ता से लागू किया जावे, जिस अधिकारी द्वारा कटौती नही की जाती है तो इसके लिए संबधित अधिकारी स्वयः जिम्मेदार होगें।

उपरोक्त निर्देशानुसार कय की जा रही औषधियों की गुणवत्ता जांच करायी जावें तथा उपरोक्त दिये गये निर्देशानुसार संबंधित प्रदायकर्ता फर्म को भुगतान किया जाना सुनिश्चित किया जावे ताकि गुणवत्ता पूर्ण औषधियां समय पर जन–सामान्य को उपलब्ध कराई जा सके।

<u>प्रमुख सचिव, स्वास्थ्य द्वारा अनुमोदित</u>

संचालक
लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण
मध्यप्रदेश

भोपाल / दिनांक

पृ.क्र. / औ.प्र. / 2015

प्रतिलिपि:–

1. प्रमुख सचिव, लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मध्यप्रदेश।
2. स्वास्थ्य आयुक्त, संचालनालय स्वास्थ्य सेवायें मध्यप्रदेश भोपाल।
3. मिशन संचालक एन.एच.एम मध्यप्रदेश।
4. समस्त संभागीये संयुक्त संचालक मध्यप्रदेश।
5. उप संचालक, औषधि प्रकोष्ठ स्थानीय कार्यालय।
6. टीम लीडर, एस.डी.एम.आई.एस स्थानीय कार्यालय।

संचालक
लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण
मध्यप्रदेश